न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 19 / 2024
अनवान : –

1. मदनलाल पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी चाईया तहसील रावतसर।

– सायल

बनाम्

1. रेखाराम पुत्र प्रेमाराम जाति जाट साकिन चाईया तहसील रावतसर।

– गैरसायल

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री संतलाल तिवाड़ी अधिवक्ता **सायल**
2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 06/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 608 / 856 के ख0न0 35 / 2 की कुल 1.0750 हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि सायल व गैरसायल सं0 1 व दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के संयुक्त हिन्दु परिवार की मुस्तरका भूमि है जो गैरसायल के संयुक्त हिन्दु परिवार के कर्ता खानदान होने की वजह से उसके अकेले के नाम रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी के दादा बुधर पुत्र टिकू के नाम ख0न0 37 की भूमि तादादी 8 बिघा 11 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिसके नये खसरा न0 कायम हुवे है। वाद भूमि पैतृक होने के कारण प्रार्थी का उक्त वाद भूमि में जन्मजाता हक हिस्सा है। वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 अकेले के नाम दर्ज होने के कारण गैरसायल संख्या 1 उक्त वाद भूमि को रहन बैय करने पर उतारू है जिससे प्रार्थी को अपर्णीय क्षति होने की संभावना है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गैरसायलान के खिलाफ इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावें की ताफैसला दावा रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 608 / 856 के ख0न0 35 / 2 की कुल 1.0750 हैक्ट भूमि को ताफैसला दावा गैरसायलान रहन, बैय व मुन्तकिल न करे एवं मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 608 / 856 के ख0न0 35 / 2 की कुल 1.0750 हैक्ट भूमि के रिकार्ड की अप्रार्थी ... यथास्थिति बनाये रखे। अधिवक्ता प्रार्थी ने चित्रप्रति जमांबदी भूकरका, मिलान ... 2029 ता 38, व अधिवक्ता अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ने चित्रप्रति आवंटन आदेश, फोटोप्रति नामान्तरण संख्या 2889, फोटो प्रति निर्णय दिनांक 27.09.16 आदि दस्तावेज पेश किये।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता इस आशय का जवाब पेश किया की उक्त भूमि गैरसायल संख्या 1 की स्वयं अर्जित भूमि है। गैरसायल संख्या 1 की स्वयं अर्जित भूमि होने के कारण प्रार्थी उक्त वाद भूमि में घोषणात्मक डिक्री पारित करवा पाने का अधिकारी नही है। गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज अन्य भूमि का उपखण्ड अधिकारी रावतसर में वाद डिक्री किया जाकर सहमति से प्रार्थी को जमीन दी जा चुकी है। उक्त वाद भूमि अप्रार्थी की स्वयं अर्जित भूमि होने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही कि जा सकती है अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है। जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि सायल व गैरसायल सं0 1 व दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के संयुक्त हिन्दु परिवार की मुस्तरका भूमि है जो गैरसायल के संयुक्त हिन्दु परिवार के कर्ता खानदान होने की वजह से उसके अकेले के नाम रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी के दादा बुधर पुत्र टिकू के नाम ख0न0 37 की भूमि तादादी 8 बिघा 11 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिसके नये खसरा न0 कायम हुवे है। वाद भूमि पैतृक होने के कारण प्रार्थी का उक्त वाद भूमि में जन्मजाता हक हिस्सा है। वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 अकेले के नाम दर्ज होने के कारण गैरसायल संख्या 1 उक्त वाद भूमि को रहन बैय करने पर उतारू है जिससे प्रार्थी को अपर्णीय क्षति होने की संभावना है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की ताफैसला दावा वाद भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल न करे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की उक्त भूमि गैरसायल संख्या 1 की स्वयं अर्जित भूमि है। गैरसायल संख्या 1 की स्वयं अर्जित भूमि होने के कारण प्रार्थी उक्त वाद भूमि में घोषणात्मक डिक्री पारित करवा पाने का अधिकारी नही है। गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज अन्य भूमि का उपखण्ड अधिकारी रावतसर में वाद डिक्री किया जाकर सहमति से प्रार्थी को जमीन दी जा चुकी है। उक्त वाद भूमि अप्रार्थी की स्वयं अर्जित भूमि होने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही कि जा सकती है अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होगी। पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 608/856 के ख0न0 35/2 की कुल 1.0750 हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थी स0 1 द्वारा प्रस्तुत आवंटन आदेश की चित्रप्रति के मुताबिक उक्त वाद भूमि अप्रार्थी संख्या को दिनांक 03.03.2011 को उक्त वाद भूमि आवंटित है तथा मुताबिक आवंटन आदेश जरिये नामान्तरण संख्या 2889 वाद भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अतः वाद भूमि अप्रार्थी की स्वयं अर्जित भूमि है। आवंटन आदेश एवं नामान्तरण संख्या 2889 के खंडन में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कोई भी दस्तावेज पेश नही किया गया है। अतः दृष्टया मामला अप्रार्थी स0 1 के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थी को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 02.02.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 06/05/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:04 IST
Reason: SelfAttested